कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/82/2023

श्रीमती ज्योति धर्मपत्नि श्री दीपक गौड पुत्री श्री मुकेश कुमार, निवासी शास्त्री नगर, भरतपुर मो0 नं0 8619667249

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.01.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमती ज्योति धर्मपत्नि श्री दीपक गौड पुत्री श्री मुकेश कुमार, निवासी शास्त्री नगर, भरतपुर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 807 दिनांक 19.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के पत्रांक पी.ए./आरटीआई/2023/82 दिनांक 08.01.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मुताबिक रिकार्ड उपखण्डाधिकारी भरतपुर कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया

आरटीआई / अपील / 2023 / 82
ज्योति बनाम लो.सू.अधि. उपखण्डाधिकारी भरतपुर

गया है। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में यह भी अंकित किया है कि :–

> ...." सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दर्ज अपील के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की छाया प्रति में वर्णित सूचनायें इस कार्यालय के सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त आवेदन पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 80 दिनांक 08.01.2024 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार भरतपुर को प्रेषित कर आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा जा चुका है।".....

उक्तानुसार प्राप्त जबाव से ज्ञात होता है कि चाही गई सूचना उपखण्डाधिकारी भरतपुर के स्तर पर लम्बित न होकर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है, साथ ही प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजी जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर